

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद हरिद्वार।

ईमेल-cfohdr.ukfs@gmail.com

फोन नं०-01334-265700

पत्रांक: न-10(2)/सीएफओ-आर/19

दिनांक: सितम्बर 13, 2019।

स्वामी/प्रबन्धक

मैसर्स ख्रीस्त ज्योति एकेडमी,  
ग्राम-घिस्सुपुरा, पो०ओ०-धनपुरा,  
जनपद हरिद्वार।

विषय: अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिक नम्बर:-45626033, दिनांक: 05.09.2019 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त हुआ है, के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार द्वारा किया गया। प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार की निरीक्षण आख्या के अनुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी। समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा नवीनीकरण किये जाने की संस्तुति की गयी है।

निर्देशित किया जाता है कि अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः आपके संस्थान के प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक: 13 सितम्बर 2019 से 12 सितम्बर 2020 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये।

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाये।
2. आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण (Evacuation) प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन सम्बन्धित अधिकारी से कराया जाए।
5. संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।
6. अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रत्येक वर्ष नवीनीकरण केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त किया गया अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
7. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।

(नरेन्द्र सिंह कुँवर)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
जनपद हरिद्वार।

प्रतिनिधि: प्रभारी फायर स्टेशन हरिद्वार को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

PRINCIPAL

Khrist Jyoti Academy  
Vill. Ghissupura  
P.O. Dhanpura, Haridwar

Manager

Khrist Jyoti Academy  
Ghissupura, Haridwar